ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS AND SUPPLEMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS THEREON

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 106
TO BE ANSWERED ON 01.08.2024

Measures for control of population of wild animals

106* SHRI KESRIDEVSINH JHALA:

Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the population of four species of wild animals, viz., elephants, monkeys, street dogs and nilgai is increasing rapidly in the country, if so, the details thereof;
(b) whether Government has initiated any project to take preventive contraceptive measures animal-wise, for population management of the afore-cited four species;
(c) if so, the details of such project, including cost and expenditure involved; and
(d) if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER FOR ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
(SHRI BHUPENDER YADAV)

(a) to (d) A statement is laid on the table of the House

*****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a), (b), (c) AND (d) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *106 REGARDING "MEASURES FOR CONTROL OF POPULATION OF WILD ANIMALS" BY SHRI KESRIDEVSINH JHALA FOR REPLY ON 01.08.2024.

(a) Elephant, Nilgai and several species of Monkeys are protected under the Wild Life (Protection) Act, 1972. The conservation efforts taken over the years have led to an increase in the population of several species of wild animals. Periodic population estimation of flagship species like Asian Elephant, Tiger, Leopard and Asiatic Lion are being undertaken. The details of population assessment of Asian Elephant are as follows:

Year	2007	2012	2017
Asian Elephant (Population/ Population Range)	27,669-27,719	29,391-30,711	29,964

The population assessment of Nilgai and Monkeys are not being undertaken at pan-India level.

The street dogs are not protected under the Wild Life (Protection) Act, 1972.The management of street dogs are under the purview of the Department of Animal husbandry and Dairying, Ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.

As per the Livestock Census, the population of street dogs are as follows:

Year	(2012)	(2019)
Stray dog population	1,71,38,349	1,53,09,355

(b), (c) &(d) The Wildlife Institute of India has been assigned a study on "Population Management of Species involved in Human-Wildlife conflict" to develop a range of mitigation strategies including the applicability of immuno-contraceptive measures to manage populations of Elephants, Nilgais, Rhesus Macaque and Wild pigs.

The management of stray dog population are carried out by the respective local bodies/municipalities/Municipal Corporations and Panchayats. Accordingly, the Central Government under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying has notified the Animal Birth Control Rules, 2023 which enables the local authority to conduct the Animal Birth Control Program.

***

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *106

01.08.2024 को उत्तर के लिए

वन्य जीवों की संख्या को नियंत्रित करने के उपाय

106. श्री केसरीदेवसिंह झालाः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में वन्य जीवों की चार प्रजातियों अर्थात हाथी, बंदर, आवारा कुत्ते और नीलगाय की संख्या तेजी से बढ़ रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उपर्युक्त चारों प्रजातियों की संख्या का प्रबंधन करने के लिए गर्भनिरोधक उपाय करने हेतु कोई परियोजना शुरू की है;

(ग) यदि हाँ, तो अन्तर्ग्रस्त लागत और व्यय सहित ऐसी परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क), (ख), (ग) और (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"वन्य जीवों की संख्या को नियंत्रित करने के उपाय" के संबंध में श्री केसरीदेवसिंह झाला द्वारा दिनांक 01.08.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *106 के भाग (क), (ख), (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत हाथी, नीलगाय एवं बंदरों की कई प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से किए गए संरक्षण के प्रयासों के परिणामस्वरूप जंगली जानवरों की कई प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हुई है। एशियाई हाथी, बाघ, तेंदुआ और एशियाई शेर जैसी प्रमुख प्रजातियों की संख्या का समय-समय पर अनुमान लगाया जाता है। एशियाई हाथी की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	2007	2012	2017
एशियाई हाथी (संख्या/संख्या रेंज)	27,669-27,719	29,391-30,711	29,964

नीलगाय और बंदरों की संख्या का आकलन अखिल भारतीय स्तर पर नहीं किया जा रहा है।

आवारा कुत्तों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित नहीं किया गया है। आवारा कुत्तों का प्रबंधन मत्स्यपालन, पशु-पालन और डेयरी मंत्रालय के पशु पालन और डेयरी विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

जानवरों की गणना के अनुसार, आवारा कुत्तों की संख्या निम्नवत् है:

वर्ष	(2012)	(2019)
आवारा कुत्तों की संख्या	1,71,38,349	1,53,09,355

(ख), (ग) और (घ) भारतीय वन्यजीव संस्थान को ''मानव-वन्यजीव संघर्ष में शामिल प्रजातियों की संख्या के प्रबंधन'' के संबंध में एक अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है जिसका उद्देश्य हाथियों, नीलगायों, रिसस मकॉक एवं जंगली सुअरों की संख्या को प्रबंधित करने हेतु प्रतिरक्षा - गर्भनिरोधक उपायों की अनुप्रयोज्यता सहित उनकी संख्या में कमी लाने की विविध कार्यनीतियां तैयार करना है।

आवारा कुत्तों की संख्या का प्रबंधन संबंधित स्थानीय निकायों/नगरपालिकाओं/नगर निगमों और पंचायतों द्वारा किया जाता है। तदनुसार केन्द्र सरकार ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं, जो स्थानीय प्राधिकरण को जानवरों के जन्म को नियंत्रित करने के कार्यक्रम को संचालित करने में सक्षम बनाते हैं।

****

SHRI KESRIDEVSINH JHALA: Sir, I would like to ask the hon. Minister: "Is any kind of assistance, training and support being provided to State and local administration through the Ministry in cases of man-animal conflict involving elephants, blue bull and wild boars entering into farms and villages?"

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री भूपेन्द्र यादव: सभापित महोदय, वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने जो man-animal conflict है, उसके लिए समय-समय पर एडवाइजरी जारी की है। उस एडवाइजरी के साथ-साथ हम लोगों ने, जो conflict हुए हैं, जिन लोगों की दुर्घटना में मृत्यु होती है या किसी की फसल का नुकसान होता है, उसके लिए compensation राशि भी तय की गई है। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट करने की दृष्टि से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ हमने ज्वाइंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और अवेयरनेस प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। पांचवां, इस विषय में टैक्नोलॉजी इंटरवेन्शन के साथ जो पहले अलर्ट हो जाएं, उन लोगों को जानकारी हो जाए, उसके लिए भी हमने कार्रवाई शुरू की है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Shri Kesridevsinh Jhala.

SHRI KESRIDEVSINH JHALA: Sir, I would also like to know from the hon. Minister: "Have requests from different States been received regarding declaring any animal species as vermin? Also, does any State authority such as the Chief Wild Life Warden have the authority to do so?"

श्री भूपेन्द्र यादव: महोदय, जहां तक किसी जानवर के द्वारा किसी क्षेत्र में इस बात का खतरा होता है कि उससे किसी व्यक्ति के जीवन की हानि हो सकती है या वह खतरनाक हो गया है, तो यह पावर हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत State Chief Wild Life Warden को प्रदान की है और समय-समय पर वे इसका उपयोग करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary, Shri Shaktisinh Gohil.

श्री शक्तिसिंह गोहिल: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके जरिए जानना चाहता हूं कि किसानों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जब ये human-animal conflict की बात आती है। सर, नील गाय, गाय वंश का नहीं है, वह हिरण वंश का है, पर वह जितना नुकसान करता है, आप गुजरात में आकर देखिए कि इतना इसका विकास हुआ है, नुकसान करने वालों का गुजरात में बहुत विकास हुआ है।

इस नील गाय को रोकने और खत्म करने के लिए क्या concrete steps हैं, सेंट्रल गर्वमेंट इसका प्लान बनाकर करना चाहती है या नहीं?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री भूपेन्द्र यादव: महोदय, निश्चित रूप से यह अधिकार राज्यों के Wild Life Warden के पास वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत है और वे इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उनको यह संतुष्टि करनी पड़ेगी कि क्या वह क्षेत्र किसानों के जीवन और संपत्ति के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अधिकार उनके पास हैं और कई राज्य इसका उपयोग कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary, Dr. Bhagwat Karad.

डा. भागवत कराड़: सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि leopard जैसा प्राणी आजकल नगरीय बस्ती में, शहरों में आता है और शहरों के सीसीटीवी कैमरा में कैद होता है। राज्य सरकार के माध्यम से उसको पकड़ने की कोशिश हमारे शहर संभाजी नगर, महाराष्ट्र में की है, तो भी नहीं मिला है। क्या केन्द्र सरकार की कोई टास्क फोर्स है, जो राज्य सरकार को मदद करे और leopard जैसे जानवर को कैद मिले?

श्री भूपेन्द्र यादव: सभापति महोदय, अगर इस प्रकार के कोई वन्य जीव शहरी क्षेत्र में आते हैं, तो वह स्थानीय स्तर पर जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उनको सूचित करते हैं और स्थानीय स्तर पर हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स के द्वारा पूरी व्यवस्था की जाती है। इनको पकड़कर वापस जंगली क्षेत्र में छोड़ा जाता है।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary, Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, in the Statement laid by the Ministry, the population of the Asian elephants has been updated only up to 2017 and the stray dogs up to 2019. The drastic increase in the stray dogs is in the recent days only. It has to be updated. My pointed question is: "Considering the long-term impact and the ethical concerns of using immuno-contraceptives on the social complex species, which has resulted in the human and wild animal conflict, along with the injunction issued by the Supreme Court about the usage of this immuno-contraceptive, what are the other alternatives the Ministry has to contain the population?

श्री भूपेन्द्र यादवः सर, यह बात सच है कि देश के कई भागों में जो वन्य जीव है, उनका जो conflict है, कई species के कारण हम लोगों ने WII को एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है। WII ने अपनी रिपोर्ट में human contraceptive के साथ-साथ यह कहा है कि इसको फूड आइटम के अंतर्गत भी हम दे सकते हैं। उन्होंने अन्य और भी सुझाव दिए हैं, उनकी interim report हमारे मंत्रालय के पास है। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं।

जहां तक आपने सड़क के आवारा कुत्तों के बारे में बात कही है, वे जंगली जीव के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे न एनिमल के अंतर्गत आते हैं, न हमारे शैड्यूल के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय नगरपालिकाओं के द्वारा उसका प्रबंधन किया जाता है। ...(**व्यवधान**)... जो लाइव डेटा है, उसे अन्य मंत्रालय देखता है, क्योंकि वह उसके अंतर्गत आता है।

श्री शक्तिसिंह गोहिलः दिल्ली के बंदरों के बारे में भी बताइए।

श्री प्रमोद तिवारीः मैं वही पूछ रहा हूं। सर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि...

MR. CHAIRMAN: Yes. ...*(Interruptions)*... You will have to define बंदर किसको कहते हैं? That may be a serious problem.

श्री प्रमोद तिवारीः सर, मैं आपके माध्यम से दिल्ली की एक समस्या है, उसके बारे में सवाल पूछना चाहता हूं। मैं इसमें नहीं जाता हूं कि वे वाइल्ड हैं या पालतू हैं। मैं इनके लिए दूसरा शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, लेकिन बंदरों की वजह से एक आतंक पैदा हो गया है, जिसके कारण रहना मुश्किल हो गया है। क्या सरकार इसके संबंध में कोई सुरक्षात्मक कदम उठाएगी?

श्री सभापतिः माननीय मंत्री जी।

श्री भूपेन्द्र यादवः माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है। मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूं। जहां तक बंदरों के विषय में आपने कहा है कि दिल्ली के अंदर बंदर पाए जाते हैं और इनके संबंध में आपने प्रश्न पूछा है। वह वन्य जीव के शैड्यूल वन और टू के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि जयराम जी को ज्यादा पता है, क्योंकि जो बाकी 11 किस्म के बंदर हैं, जो Assamese Macaque, Arunachal Macaque, Bonnet Macaque, Lion-Tailed Macaque, Nicobar Long-tailed Macaque, Northern Pig-tailed Macaque, Sela Macaque and Hanuman Langur है, इनको हम लोगों ने वन्य जीव में रखा है। यह जयराम जी की कमेटी की रिकमंडेशन थी, इसलिए हमने इसको वन्य जीव से निकाला है, लेकिन उसके sterilization प्रोग्राम को लेकर दिल्ली के हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी है। हमने ओखला और आसपास दो-तीन क्षेत्र भी डेवलप किए हैं। वहां पर हमने विशेष कार्रवाई भी की है, इनको पकड़ने के लिए, इनको sterilization करने में भी समस्या आती

है, तो इनके फूड में भी हम कुछ कर सकते हैं। उसके संबंध में रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। हम सब इसको मिलकर करेंगे। मैं यहां पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, ...(**व्यवधान**)... लेकिन मेरा यह मानना है कि जॉन ब्रिटास और इनसे हम कहेंगे ...(**व्यवधान**)... सर, ये सुनें तो सही। ...(**व्यवधान**)... लगातार दिल्ली सरकार को ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Dr. John Brittas, it is Question Hour and you rise there. *...(Interruptions)...* You are a very senior Member. *...(Interruptions)...*

श्री भूपेन्द्र यादव: लगातार दिल्ली सरकार और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को हम कैपेसिटी बिल्डिंग से लेकर, उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करने के लिए कहते रहे हैं, लेकिन उनकी, दिल्ली सरकार की कोई मजबूरी होगी कि उनको इस पर जितना ध्यान देना था, नहीं दिया है, लेकिन उनको देना चाहिए।

श्री प्रमोद तिवारी: सर, ये उन पर रोक लगा दें, लोग केला खिलाकर उनको और आकर्षित कर रहे हैं। टमाटर तो आजकल कोई नहीं खिला रहा है। उसके बाद कुछ संगठन विरोध करते हैं।

श्री सभापति: तिवारी जी, मुझे तो यह बताइए कि कौन सी पाचन व्यवस्था निर्देशित करूं कि हाउस ऑर्डर में चले!

Question No. 107.